

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—55/2021 (2021/143) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गोकल पुत्र सांवल रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादु पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुवा पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सायरी पत्नि सुखदेव गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामा पुत्र भुरा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुवा पुत्र भुरा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित



1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1258/152 रकबा 1.12 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.07.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये  नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 तक बावजुद सूचना के उपस्थित न  से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से



अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1258/152 रकबा 1.12 है 0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
15.02.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी (अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—55/2021 (2021/143) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गोकल पुत्र सांवल रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादु पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुवा पुत्र रामा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सायरी पत्नि सुखदेव गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामा पुत्र भुरा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुवा पुत्र भुरा गुर्जर निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 15.02.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1258/152 रकबा 1.12 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी भुल्क 200/—रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रुपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



15.02.22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कार्यकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा